



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.

/2016 निगरानी

2 3898-II-16

लालेप्रसाद पुत्र रामसखा बैस

निवासी – साकिन गन्नई, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

—आवेदक

बनाम

- 544
17-11-16
- 1— मु0 फुलेसरी पत्नी रामसहाय बैस
चौरसिया पत्नी लाले प्रसाद बैस
निवासीगण— साकिन गन्नई, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
 - 2— हरी प्रसाद पुत्र बैजनाथ बैस
निवासी—साकिन गन्नई, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
 - 3— मिथलेश कुमार पुत्र रामानुज बैस
निवासी—साकिन गन्नई, तहसील सरई, हाल पता बेटहाड़ाड,
तहसील देवसर, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
 - 4— सुमन देवी पत्नी पवन कुमार अग्रवाल
निवासी—साकिन गन्नई, तहसील सरई, हालपता सा० गोरबी, तहसील
चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
 - 5— विश्वनाथ पुत्र रामछबीला काढी
 - 6— रामकृपाल पुत्र जगनारायण काढी
निवासीगण —साकिन गन्नई, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
 - 7— बृहस्पती प्रसाद साकेत तत्कालीन पटवारी— पटवारी हल्का गन्नई,
तहसील सरई, वर्तमान पटवारी हल्का गोड़बहरा, तहसील सरई
जिला सिंगरौली (म.प्र.)
 - 8— म0 प्र0 शासन

—अनावेदकगण

दुष्पन्त कुमार सिंह

प्रस्तुति

17-11-16

544
17-11-16

दुष्पन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेव्यू बोर्ड
ग्वालियर-३

R.S.
S.R.

J.A.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(35)

अनुवत्ति आदेश प्रक्र

प्रकरण क्रमांक - R/3898/P/16, सिंगरौली

भोबेपुसाई/फुलेसरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
८/११/१९	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>डॉ प्रयंत कुमार सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>सिंगरौली</u> के प्रकरण क्रमांक <u>313/B-12/15-16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>05/05/16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>23/4/19</u> को संभागीय आयुक्त <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	